

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3138] No. 3138] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2019/आश्विन 2, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019/ASVINA 2, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

का.आ. 3444(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 78(अ.), दिनांक 31 दिसंबर, 2012 और का.आ. 2263(अ.), दिनांक 25 जून, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा XLIX अपर सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश, बंगलूरू सिटी के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेत विशेष न्यायालय के रूप में नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष नयायालय का क्षेत्राधिकार पुरे कर्नाटक राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2019

S.O. 3444(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 78 (E), dated the 31st December, 2012 and S.O. 2263 (E), dated the 25th June, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Karnataka, hereby designates the Court of XLIX Additional City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Karnataka.

[F. No. 11011/06/2019/NIA] PIYUSH GOYAL, Jt. Secv.

4965 GI/2019